न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– प्रियंका जोधावत, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 27 / 2013 (उदयपुर आर्डर)

1. श्रीमती बद्री बाई पुत्री श्री वेणा जणवा, निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. श्रीमती पुष्पा बाई पत्नी श्री जमनालाल जणवा, निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्टगण

बनाम

1. काशीराम पिता श्री सरीलाल जणवा, निवासी ग्राम नवानिया, तहसील वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, वल्लभनगर, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान
काश्तकारी अधिनियम–1955 विरूद्ध
निर्णय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर
दिनांक 23.05.2013 प्र॰सं॰ 70 / 12

———/———

उपस्थित (वक्त बहस) 1. श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्टगण

2. श्री विजय कुमार ओस्तवाल अभिभाषक रे. 1

3. श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे. 2

———::———

निर्णय दिनांक

30–04–2019

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलान्टगण व सरकार के विरूद्ध एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी

अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम नवानिया की खाता संख्या 325 में अंकित आराजियात के साथ–साथ आराजी नंबर 1571/1 व 1573/2 विपक्षी संख्या 1 की माता श्रीमती नारायणी बाई एवं विपक्षी संख्या 1 के खातेदारी में दर्ज है। नारायणी बाई की मृत्यु हो चुकी है। खातेदार वेणा पिता प्यारा के कोई जाइन्दा पुत्र नहीं होने वेणा जी ने मुझ प्रार्थी को गोद पुत्र रखा तथा मेरे पक्ष में लिखा–पढ़ी कर कि आराजी नंबर 1573/2 मेरे स्वतंत्र रहेगी तथा आराजी नंबर 1573/2 व 1571/1 की सिपुर्दगी की गयी, तब से उक्त दोनों आराजियात पर प्रार्थी काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है, किन्तु उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 द्वारा विपक्षी संख्या 2 को विकय कर दी गयी है, जिससे विपक्षीगण प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप करते हैं। अतएवं विपक्षीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थी क कब्जे काश्त की उक्त आराजियात में मूलवाद के निस्तारण तक किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, न किसी अन्य से करावे।

प्रकरण में विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा खण्डन का जवाब प्रस्तुत किया तथा विशेष कथन में निवेदन किया कि प्रार्थी ने मृतक वेणा का गोद पुत्र बनकर प्रार्थना पत्र पेश किया है, जबकि वेणा द्वारा उसे कभी भी गोद नहीं रखा गया न ही कोई गोद की रस्म अदा हुई। सारे कथन बेबुनियाद एवं मिथ्या हैं। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपलब्ध साक्ष्यों एवं उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 23–05–2013 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 09–03–2012 को वाद के निर्णय तक कन्फर्म किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण/विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 30–09–2013 को प्रस्तुत की गयी है।

अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर पत्रावली आदेश में रख दी व आदेश की कोई पेशी नहीं दी, जब प्रार्थीगण ने कुछ दिन बाद अधिवक्ता से पूछा तो अधिवक्ता ने

न्यायालय जाकर तलाश किया तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। जानबूझकर कोई विलम्ब नहीं किया गया है। देरी का पर्याप्त कारण है। ताईद में शपथ पत्र भी पेश किया।

हमने उक्त आवेदन का अवलोकन कर पत्रावली का मनन किया। अखण्डित शपथ पत्र एवं प्रकरण के गुणावगुण पर निर्णय करने के दृष्टिगत न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री विजय कुमार ओस्तवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 राज्य सरकार की ओर से औपचारिक पक्षकार श्री पंकज भटनागर उपस्थित हुए। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

दौराने बहस अभिभाशक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराया तथा बताया कि अधिनस्थ न्यायालय ने बिना गोदनामा साबित हुए प्रार्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर दी है, जबकि किसी प्रकार का गोदनामा हुआ ही नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

वहीं विद्वान वकील रेस्पोन्डेन्ट ने अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय को उपलब्ध साक्ष्यों अनुसार सही होना बताते हुए अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज करने की प्रार्थना की।

हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया तो यह पाया कि अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 09–03–2012 आराजी नंबर 1571/1 व 1573/2 बाबत् प्रार्थी के हक हिस्से तक हस्तान्तरण नहीं करने तथा मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु विपक्षीगण को पाबन्द किया है, जिसे अपने प्रश्नगत निर्णय दिनांक 13–05–2013 से मूलवाद के निस्तारण तक कन्फर्म किया है। पक्षकारों के हक अधिकारों का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य आदि

आने के बाद ही हो सकता है, तब तक पक्षकारों में किसी प्रकार का विवाद आगे नहीं बढ़े इस हेतु अधिनस्थ न्यायालय ने विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हं।

अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 23–05–2013 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 30–04–2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रियंका जोधावत)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील
अधिकारी
उदयपुर